२११

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1878–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.03.2016 पारित द्वारा तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर रा.प्र.कं. 55/अ–6–अ/2014–15

नत्थू पुत्र लछुआ
निवासी ग्राम (टपरियन) लखेरी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर हाल निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (हरदुआ)
जिला पन्ना म.प्र.
द्वारा मुख्त्यारग्रहीता ललतू पुत्र गरीबा पटेल
निवासी ग्राम (टपरियन) लखेरी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव गौतम

आदेश

(आज दिनांक 15–02–2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा रा. प्रकरण कमांक 55/अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.3.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई हैं ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक नत्थू पुत्र लछुआ अहिरवार मुख्त्यारग्रहीता ललतू पुत्र गरीबा ने तहसीलदार राजनगर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 1387, 1388, 1397, 1398/1, 1399 कुल किता 5 रकवा कमंश 0.081, 0.202, 0.502, 0.709, 1.315 है0 भूमि ग्राम लखेरी में स्थित आवेदक के पिता लछुआ तनय बल्दुआ अहिरवार के नाम संवत 2020 से वर्ष 1977–78 तक राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है । आवेदक के पिता गरीब होने के कारण अपने परिवार के भरण पोषण हेतु वर्ष 1980 के लगभग लक्ष्मीपुरा जिला पन्ना चले गये थे तब से वही निवास करते रहे हैं पिता फौत हो गये हैं। पिता द्वारा वादग्रस्त भूमियां ललतू पटेल को बटाई पर दी थी जिसका तय राशि ललतू पटेल आवेदक के पिता को देता था ललतू पटेल प्रकरण में मुख्तारग्रहीता है। आवेदक अपनी भूमि की नवीन भू. अधिकार ऋण पुस्तिका बनवाने के लिये हल्का पटवारी लखेरी के पास गया तब पटवारी ने माह मई में बताया कि उक्त भूमि म.प्र. शासन दर्ज है उक्त जानकारी होने पर खसरा की नकल निकाली तब पता चला कि आवेदक के पिता का नाम हल्का पटवारी द्वारा खसरा रोस्टर के समय वर्ष 1979 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के छोड दिया है। वादग्रस्त भूमियों पर दर्ज म. प्र. शासन विलोपित कर आवेदक ने अपना नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया तहसील न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करआम इश्तहार का प्रकाशन कराया इश्तहार प्रकाशन दिनांक 24.7.15 से अवधि अंदर एवं उसके पश्चात तक कोई आपत्ति नहीं आई। वादग्रस्त भूमि के संबंध में हल्का पटवारी मौजा लखेरी से जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के प्राप्त किया। प्रतिवेदन दिनांक 26.8.2015 में प्रतिवेदित किया है कि पंचनामा दिनांक 25.8.15 में लेख किया है कि पंचों की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि की स्थल जांच की गई है कि कुछ रकवा पर तिली

एंव उडद की फसल खडी है, शेष भूमि खाली पड़ी है एवं अंश भाग पर मकान बना है। उक्त प्रतिवेदन को अनदेखा कर तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध उक्त निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 1387, 1388, 1397, 1398/1, 1399 कुल किता 5 रकवा क्रमंशः 0.081, 0.202, 0.502, 0.709, 1.315 है0 भूमि आवेदक के पिता लछुआ के नाम राजस्व अभिलेख में वर्ष 1978 तक दर्ज रही है। आवेदक ने उक्त प्रकरण की पैरवी हेतु मुख्त्यारआम ललतू को नियुक्त किया है उसके द्वारा एवं अन्य साक्षियों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पेश कर लेख कराया है कि आवेदक के पिता के नाम लगभग 7 एकड़ भूमि ग्राम लखेरी में है जिसे आवेदक के पिता द्वारा ललतू पटेल को बटाई पर दी थी आवेदक का पिता ग्राम लक्ष्मीपुरा जिला पन्ना चला गया था आवेदक उक्त भूमि बटाई पर ललतू पटेल को दे गये थे तभी से वह उक्त भूमि पर कृषि कर रहा है फसल की आय वर्ष में एक बार आवेदक के पिता मौजूद थे तब तक उन्हें उनके मृत हो जाने के बाद आवेदक को दे रहा है। आवेदक को उक्त भूमियां राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज होने की जानकारी होने पर अपने नाम दर्ज कराने हेतु रिकार्ड सुधार किये जाने का आवेदन पेश किया था उक्त आवेदन के समर्थन में खसरा नकल संवत 2020 से 2024 एवं संवत 2026 से 2030 सन 1974–75 से 76–77 सन 1977–78 से 81–82 तक की खसरा नकल एवं साक्षियों के शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किये हैं उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा

खसरा रोस्टर के समय वर्ष 1979 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश आवेदक के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में लिखने से छोड दिया है गया हो तब यह राजस्व कर्मचारी की भूल है जिसे सुधार करने का अधिकार तहसील न्यायालय को था जिसे न कर उनके द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखकर की जा रही कार्यवाहीको निरस्त की जाकर राजस्व अभिलेख में से म.प्र. शासन का नाम विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक के पिता लछुआ तनय बल्दुवा चमार का वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में संवत 2020 से 2024 एवं संवत 2026 से 2030 सन 1974–75 से 76–77, सन 1977–78 से 1981–82 का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1387, 1388, 1397, 1398/1, 1399 किता 5 रकवा क्रमशः 0.081, 0.202, 0.502, 0.709, 1.315 है. भूमि मौजा लखेरी संवत 2020 से वर्ष 1976–77 तक लछुआ तनय बल्दुवा चमार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है। उसके पश्चात बिना किसी सक्षम अधिकारी के खसरा वर्ष 1977–78 का खसरा रोस्टर करते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा उक्त भूमियां म.प्र. शासन दर्ज कर दी गई है जो राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूल है जिसे तहसील न्यायालय को सुधार किये जाने का अधिकार है तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में प्रस्तुत

साक्ष्य को अनदेखा कर राजस्व अभिलेख में सुधार न कर प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखकर की जा रही कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवचेना के आधार पर तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डी चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.3.2016 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार कीजाती है आवेदक के नाम मौजा लखेरी तहसील राजनगर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 1387, 1388, 1397, 1398/1, 1399 रकवा कमंश 0.081, 0.202, 0.502, 0.709, 1.315 है0 एवं अन्य भूमि कुल रकवा 7 एकड भूमि पर राजस्व अभिलेख में से म.प्र. शासन का नाम विलोपित कर आवेदक नत्थू पुत्र लछुआ का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि तदनुसार आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर